

[2025] 3 एस.सी.आर. 432 : 2025 आईएनएससी 322

पटेल बाबूभाई मनोहरदास और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1388/2014)

05 मार्च 2025

[अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुयान,* जेजे।]

विचारार्थ मुद्दा

चारों अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 और 114 के तहत दोषी ठहराया और 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की। क्या उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सज़ा को बरकरार रखकर सही किया?

सारांश टिप्पणियाँ

दंड संहिता, 1860 की धारा 306 और 114-पीड़ित-मृतक की जहर खाने से मृत्यु हो गई- यह आरोप लगाया गया था कि उनके कार्यालय में एक सफाई कर्मचारी ने उन्हें एक प्रेम घोटाले में फंसाया था-मृतक की जेब से एक नोट मिला था जिसमें कहा गया था कि उक्त सफाई कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य पीड़ित की विभिन्न तस्वीरें और वीडियो आपत्तिजनक स्थिति में लेने के बाद उसे ब्लैकमेल कर रहे थे- प्राथमिकी दर्ज की गई थी- निचली अदालत ने दंड संहिता, 1860 की धारा 306 और 114 के तहत चार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया- उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई- सच्चाई:

अभिनिर्धारित किया गया: अभिलेख के साक्ष्य के अवलोकन पर, यह पता चलेगा कि घटना 25.04.2009 पर हुई थी और शिकायत दर्ज की गई थी 14.05.2009- There प्राथमिकी दर्ज करने में 20 दिनों की अस्पष्ट देरी है- घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं- पीडब्लू-2 ने अपने ठोस साक्ष्य में कहा कि जब वह अपने घर पहुंची तो उसने अपने पति (मृत) का शव देखा-हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि जब वह घर पहुंची तो

* लेखक

रिश्तेदार पहले ही अपने पति को अस्पताल ले जा चुके थे- जब पंचनामा 25.04.2009 पर तैयार किया गया था , मृतक के शरीर पर कोई सुसाइड ध्यान दें नहीं मिला- पीडब्लू-2 ने कहा कि मृत्यु के समय से शिकायत दर्ज होने तक सुसाइड ध्यान दें पीडब्लू-7 के पास था-इससे सुसाइड ध्यान दें की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुआ-पीडब्लू-6 ने कहा कि उसकी भतीजी ने उसे अपने भाई की मृत्यु के बारे में बताया, फिर वह मृतक के घर गया और उस समय पीडब्लू-7 भी वहां मौजूद था-दूसरी ओर, पीडब्लू-7 ने कहा कि उसका भाई पीडब्लू-6 उसके घर आया और उसे मृतक के बारे में बताया और उसके बाद वह मृतक के घर गया-जैसे कि लगातार। अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर स्पष्ट रूप से महाभियोग चलाएँ-अभियुक्त व्यक्तियों से पुलिस द्वारा किसी भी आभूषण (आभूषण) की बरामदगी दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है-मृतक के हस्ताक्षरित चेक या मृतक की चेक बुक या पासबुक बरामद नहीं की गई और निचली अदालत में प्रदर्शित नहीं की गई-इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले का उप-सूत्र यह है कि आरोपी व्यक्ति मृतक को ब्लैकमेल करके अवैध लाभ कमा रहे थे-इसके अलावा, घटना स्थल पर मृतक द्वारा सेवन किए गए जहर का कोई निशान नहीं मिला है-साथ ही, अभियोजन पक्ष ने एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में उप मुख्य हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच नहीं की-रिकॉर्ड भी। यह इंगित न करें कि अभियुक्त ने लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट की वास्तविकता को स्वीकार किया था-अंत में, भले ही सुसाइड ध्यान दें को सही और वास्तविक के रूप में लिया गया हो, अपीलकर्ता की ओर से उस तारीख के निकट कोई दुष्प्रेरण का कार्य नहीं है जिस दिन मृतक ने आत्महत्या की थी- अपीलकर्ता को आत्महत्या के समय के निकट ऐसा कोई कार्य नहीं माना जाता है जो इस तरह का था कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था- ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का कोई अपराध किया जाता है- परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय और निचली निचली अदालत के विवादित फैसले को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 45, 46]

साक्ष्य- हस्तलेखन विशेषज्ञ- हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय- चर्चा की गई। [पैरा 42-44]

उद्धृत न्यायिक निर्णय

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2001] सप. 4 एससीआर 247 : (2001) 9 एस. सी. सी. 618; चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का) [2009] 13 एस. सी. आर. 230; (2009) 16 एससीसी 605; अमर्लेंदु पलालियास झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2009] 15 एससीआर 836 : (2010) 1 एस. सी. सी. 707; उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य [2019] 9 एससीआर 703 : (2019) 17 एस. सी. सी. 301; राजेश बनाम की स्थिति हरियाणा (2020) 15 एस. सी. सी. 359; अमूधा बनाम राज्य, 2024 आई. एन. एस. सी. 244; कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य (2024) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3541; प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 आई. एन. एस. सी. 1020; संजू @ संजय सिंह सेंगर बनाम एम. पी. राज्य। [2002] 3 एससीआर 668 : (2002) 5 SCC 371; कुमार @ शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य [2024] 3 एससीआर 329 : 2024 आई. एन. एस. सी. 156; शशि कुमार बनर्जी बनाम सुबोध कुमार बनर्जी (मृतक के बाद से) ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529; मुरारी लाल बनाम एम पी राज्य [1980] 2 SCR 249 : (1980) 1 एससीसी 704; केशव दत्त बनाम हरियाणा राज्य [2010] 10 एससीआर 151 : (2010) 9 एस. सी. सी. 286- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

मुख्य शब्दों की सूची

आत्महत्या के लिए उकसाना; उकसाना; भड़काना; धारा 306 IPC; घटना के समय के करीब सकारात्मक कार्रवाई; मेन्स रीआ; असंगत गवाही; सबूत की सच्चाई; गवाह की विश्वसनीयता; सुसाइड नोट; पंचनामा; एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी; विशेषज्ञ साक्ष्य; लिखावट विशेषज्ञ; जहर का सेवन; लिखावट राय वाला सबूत है।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 1388/2014

गुजरात हाई कोर्ट, अहमदाबाद के 17.12.2013 के फैसले और आदेश से, सी. आर. एल. ए. संख्या 626/2011 में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के लिए:

राजीव कुमार, संजीव गुप्ता, भानुकपूर, जे. के. मिश्रा, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए:

सुश्री दीपान्विता प्रियंका, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

उज्जवल भुयान, जे।

यह अपील स्पेशल लीव से गुजरात हाई कोर्ट, अहमदाबाद (जिसे आगे 'हाई कोर्ट' कहा जाएगा) के क्रिमिनल अपील संख्या 626/2011 में 17.12.2013 को दिए गए फैसले और ऑर्डर के खिलाफ है।

2. यह उल्लेख किया जा सकता है कि चार अपीलकर्ता संख्या .1 से 4 तक अभियुक्त हैं। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहसाणा की अदालत द्वारा विशेष अत्याचार वाद संख्या 53/2009 में दिनांक 12.05.2011 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 306 एवं 114 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा प्रत्येक को 5 वर्ष के कठोर कारावास (RI) और ₹10,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया, साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में वैकल्पिक दंड का प्रावधान किया गया।
3. उपरोक्त दोषसिद्धि और सज़ा से दुखी होकर, अपीलकर्ताओं ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील संख्या 626/2011 दायर की। गुजरात राज्य ने भी सज़ा बढ़ाने के लिए क्रिमिनल अपील संख्या 796/2011 दायर की थी। दिनांक 17.12.2013 के साझा निर्णय एवं आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी तथा माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहसाणा (संक्षेप में 'विचारण न्यायालय') द्वारा अपीलकर्ताओं पर आरोपित दोषसिद्धि एवं दंड की पुष्टि की। राज्य द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था।
4. हाई कोर्ट द्वारा 17.12.2013 को दिए गए उपरोक्त फैसले और आदेश के खिलाफ ही अपीलकर्ताओं ने संबंधित एसएलपी (सी. आर. एल.) संख्या 2809/2014 दायर की थी। हालाँकि, राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील को खारिज करने को चुनौती नहीं दी।
5. इस न्यायालय ने दिनांक 07.04.2014 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका के साथ-साथ जमानत के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किया था। 04.07.2014 के आदेश से छुट्टी मंज़ूर की गई थी। इसके बाद, दिनांक 17.10.2014, के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता सं. 4 को जमानत दे दी। दिनांकित 11.05.2015 आदेश के

अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 को भी जमानत दे दी गई थी। इसके बाद, दिनांक 14.09.2015, के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को जमानत दे दी गई।

6. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि एक जयबालाबेन ने मेहसाणा तालुका पुलिस स्टेशन के समक्ष 14.05.2009 को पहली जानकारी दर्ज कराई। यह कहते हुए कि 08:00 बजे 25.04.2009 की सुबह वह और उनकी बेटी प्रियंका अमीपुरा वाटर पार्क डिस्पेंसरी गई थीं क्योंकि वह वहां काम कर रही थीं। लगभग 01:00 बजे प्रधानमंत्री, जयंतीभाई कालिदास, एक पड़ोसी, उनकी औषधालय में आए और उन्हें बताया कि उनकी सास बीमार हैं। यह सुनकर वह और उसकी बेटी तुरंत रिक्शा में घर वापस आ गए। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कई लोग जमा थे। वह घर के अंदर गई और अपने पति दशरथ भाई करसनभाई को अपने छोटे और बड़े भाइयों के साथ एक खाट पर लेटे हुए देखा। हालाँकि उसने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी; वह पहले ही मर चुका था। जैसे ही वह रोने लगी, वहाँ मौजूद महिलाओं ने उसे बताया कि उसके पति ने जहर खा लिया है। उसके मुँह से जहर की बदबू आ रही थी। पहले मुखबिर ने बताया कि उसके पति को गाँव की औषधालय ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस आ गई। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, उसके पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेहसाणा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया।

- 6.1 जयबालाबेन ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा कि लगभग एक साल पहले उनके पति दशरथ भाई करसनभाई के खिलाफ उनके कार्यालय में गबन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने और उनके बड़े बहनोई जयंतीभाई ने अपने पति से पूछा था कि उन्हें इतने पैसे की आवश्यकता क्यों है, जिस पर उनके पति का जवाब था कि उनके कार्यालय में एक सफाई कर्मचारी गीताबेन ने उन्हें प्रेम घोटाले में फंसाया था और उसके बाद उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि उसे देने के लिए उसे कार्यालय से पैसे निकालने पड़े।
- 6.2 जब उनके बड़े बहनोई जयंती भाई ने गीताबेन, उनकी मां जसीबेन, उनके पति दहिया भाई और रिश्तेदार बाबूभाई पटेल को पैसे वापस करने के लिए फोन किया, तो वे शुरू में ऐसा करने के लिए सहमत हो गए लेकिन वापस नहीं आए। वे गहने भी ले गए।
- 6.3 जयबालाबेन ने यह भी बताया कि उनके पति की मौत के समय, उन्हें उनके पति

की पैंट की जेब से दो पन्नों का एक नोट मिला था, जो उनके बड़े देवर जयंतीभाई ने उन्हें दिखाया था। उन्होंने बताया कि उस नोट से यह साफ़ था कि गीताबेन और उनके परिवार वाले उनके पति के साथ आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें और वीडियो लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। उसने कहा कि उसके पति ने उसकी बेटी के गहने भी चुरा लिए थे और उन्हें गीताबेन और उसके परिवार के सदस्यों को दे दिया था। यही कारण था कि उनके पति दशरथ भाई करसनभाई ने जहर खा लिया था।

7. उपरोक्त शिकायत मेहसाणा तालुका पुलिस स्टेशन द्वारा आई.सी.आर. संख्या 107/2009 के रूप में आईपीसी की धाराओं 306/114 के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी (जिसे आगे 'अत्याचार निवारण अधिनियम' कहा जाएगा)। जांच पूर्ण होने पर विवेचना अधिकारी ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेहसाणा की अदालत में आरोप-पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया। चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य था, इसलिए यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहसाणा (निचली अदालत) के न्यायालय को सौंपा गया था, जहां मामले को विशेष अत्याचार मामला संख्या 1 के रूप में गिना गया था। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले को साबित करने के लिए कई दस्तावेजों का प्रदर्शन किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने पर, अपीलकर्ताओं बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया और गलत निहितार्थ का आरोप लगाया।
8. मौखिक और दस्तावेजी सबूतों पर विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 12.05.2011 के फैसले और आदेश के ज़रिए अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 306/114 के तहत दोषी ठहराया, लेकिन उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत आरोप से बरी कर दिया। इस दोषसिद्धि पर, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 306/114 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5 साल की सज़ा और प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया, साथ ही जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान भी रखा।
9. अपीलकर्ताओं ने दाण्डिक अपीलीय संख्या 626/2011 में उच्च न्यायालय के सामने निचली अदालत के उपरोक्त फैसले और सज़ा को चुनौती दी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य ने सज़ा बढ़ाने के लिए दाण्डिक अपीलीय संख्या 796/2011 भी दायर की थी।

10. उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.12.2013 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा और उनकी अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय को भी सजा बढ़ाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिला। नतीजतन, राज्य द्वारा दायर दण्डिक अपीलीय को खारिज कर दिया गया।
11. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि निचली निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों अभियोजन मामले की सराहना करने में विफल रहे किसी भी भौतिक साक्ष्य, जैसे कि वीडियो कैसेट और आरोपी व्यक्तियों के साथ मृतक की आपत्तिजनक तस्वीरें आदि द्वारा समर्थित नहीं था। इसलिए, मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ब्लैकमेल करने की कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है।
- 11.1 अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों से, आरोपी व्यक्तियों की ओर से मृतक को आत्महत्या करने के लिए मदद करने या उकसाने या बढ़ावा देने का कोई इरादा नज़र नहीं आता है। अपीलकर्ता न तो शव की बरामदगी के समय और स्थान पर मौजूद थे और न ही किसी निकटवर्ती समय पर। इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कोई मामला नहीं कहा जा सकता है।
- 11.2 अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि तथाकथित सुसाइड नोट मृतक की मृत्यु के 20 दिन बाद पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में, ऐसे सुसाइड नोट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- 11.3 विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि निचली दोनों अदालतें इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहीं कि अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-7 जयन्तीभाई करशनभाई परमार, जो मृतक के बड़े भाई हैं, ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे जाकर अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप साबित कर दिया है।
- 11.4 वह यह भी बताते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक ने अपीलकर्ताओं को उन्हें ब्लैकमेल करने पर पैसे और गहने दिए थे। लेकिन आरोपी व्यक्तियों (अपीलकर्ताओं) से न तो कोई पैसा बरामद हुआ और न ही कोई गहने। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे कई दूसरे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मृतक ने यह कदम उठाया, जैसे कि उसके ऑफिस में

पैसे के गलत इस्तेमाल के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसके कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है।

11.5 इस स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 306/114 के अंतर्गत गलत रूप से दोषी ठहराया गया है और इसलिए वे पूर्ण रूप से दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं। तदनुसार अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दशरथभाई करसनभाई परमार की मृत्यु जहर के सेवन के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह बात साबित हुई है। उनका यह भी निवेदन है कि सुसाइड नोट (प्रदर्श-33) मृतक के स्वयं के हस्तलेखन में लिखा गया था और यह तथ्य हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय के अनुसार सिद्ध किया गया है। सुसाइड नोट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता संख्या 3 के साथ मृतक की आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर उससे धनराशि वसूल की थी। जैसे ही मृतक इसका सामना करने में असमर्थ हो गया, उसने कठोर कदम उठाया।

12.1 प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को सभी उचित संदेह से परे साबित कर दिया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने अपील करने वालों को कानून के उपरोक्त प्रावधानों के तहत सही ठहराया, और इस फैसले को उच्च न्यायालय ने भी सही माना है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर न्यायालय ने उचित विचार किया है।

14. इससे पहले कि हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का विज्ञापन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, वर्तमान दण्डिक अपील के निर्णय के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और न्यायिक पूर्व निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा।

15. भारत में आत्महत्या का प्रयास एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में यह प्रावधान है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है और उस उद्देश्य से

कोई कार्य करता है, उसे साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि, एक बार आत्महत्या करने के बाद, अपराध पूरा हो जाता है। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जाहिर है कि ऐसा व्यक्ति कानून की पहुंच से बाहर होगा। इसलिए, उसे दंडित करने का सवाल ही नहीं उठेगा, लेकिन जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडित किया जाएगा। आई. पी. सी. की खंड 306 के तहत निर्धारित सजा किसी भी अवधि के लिए कारावास है जो 10 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। आईपीसी की धारा 306 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे ऊपर के रूप में दंडित किया जाएगा।

16. इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है 'उकसाना' (abets)। आईपीसी की धारा 107 में 'उकसाने' को परिभाषित किया गया है। धारा 107 आईपीसी के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए उकसाने का दोषी होगा, यदि वह किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है या यदि वह एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ मिलकर उस काम को करने की किसी साज़िश में शामिल होता है या यदि वह जानबूझकर किसी काम या गैर-कानूनी चूक से उस काम को करने में मदद करता है। धारा 107 के दो स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, भले ही कोई व्यक्ति किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छिपाने के माध्यम से, जो वह अन्यथा स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए बाध्य है, किसी काम को करने का कारण बनता है या करने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस काम को करने के लिए उकसाने के लिए कहा जाता है। स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करता है कि जो कोई किसी कृत्य को सम्पन्न कराने के लिए कोई भी कार्य करता है, चाहे वह कार्य कृत्य से पहले किया गया हो या कृत्य के समय किया गया हो, उसे उस कृत्य को सहायता प्रदान करने वाला माना जाएगा।
17. भारतीय दंड संहिता की धारा 114, धारा 107 का स्पष्टीकरण या व्याख्या है। धारा 114 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी कृत्य या अपराध के समय अनुपस्थित रहता है, परंतु उस कृत्य या अपराध के लिए जो उसे उकसाने के कारण दंडनीय बनाता है, उस कृत्य के समय उपस्थित था, तो उसे उस कृत्य या अपराध को करने वाला माना जाएगा और वह उकसाने वाले के रूप में दंडनीय होगा।
18. रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य¹ के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि 'उकसाने' का अर्थ है 'एक कार्य' करने के लिए उकसाना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।

'उकसाने' की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या यह कि शब्द या कार्य आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत देने वाले होने चाहिए। जहां आरोपी अपने अभिनेता की चूक या अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, तो 'उकसावे' का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को 'उकसाना' नहीं कहा जा सकता है।

19. आगे विस्तार से बताते हुए, चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार)² के मामले में यह अवलोकन किया कि 'उकसाना' स्थापित करने के लिए, जो व्यक्ति किसी अन्य को उकसाता है, उसे उस अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कृत्य को करने के लिए उकसाना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना या आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। इस न्यायालय ने 'उकसाने' के घटकों का सारांश इस प्रकार दिया:

(i) अभियुक्त मृतक को शब्दों, कार्यों या जानबूझकर चूक या आचरण से परेशान या परेशान करता रहा जो एक जानबूझकर मौन भी हो सकता है जब तक कि मृतक ने मृतक को अपने कार्यों, शब्दों या जानबूझकर चूक या आचरण से प्रतिक्रिया या धक्का या मजबूर नहीं किया ताकि मृतक आगे की दिशा में अधिक तेज़ी से आगे बढ़े; और

(ii) कि आरोपी का इरादा ऊपर बताए गए तरीके से काम करते हुए मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना या बढ़ावा देना था। निस्संदेह, मेन्स रिया की उपस्थिति उकसाने का एक आवश्यक सहवर्ती है।

20. अमलेंदु पाल उर्फ़ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य³ एक ऐसा मामला है जिसमें इस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप वाले मामले में, आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले सीधे या अप्रत्यक्ष कामों का सबूत होना चाहिए। सिर्फ़ उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, जबकि आरोपी की ओर से घटना के समय ऐसा कोई पॉजिटिव काम न किया गया हो, जिससे मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, तो सेक्शन 306 आईपीसी के तहत सज़ा देना सही नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य⁴ के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 107 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने राजेश बनाम हरियाणा राज्य⁵ में यह निर्णय दिया कि केवल उत्पीड़न के

आरोप पर, यदि आरोपित के द्वारा घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कृत्य नहीं किया गया जिसने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित या बाध्य किया, तो धारा 306 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

22. आत्महत्या के लिए उकसाने में किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक निकटवर्ती कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध करने का साफ़ इरादा होना चाहिए।
23. अमूधा बनाम राज्य⁶ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त की ओर से उस तारीख तक उकसाने का कार्य होना चाहिए जिस पर मृतक ने आत्महत्या कर ली। जिम्मेदार कार्य न केवल आत्महत्या के समय के निकट होना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रकृति का भी होना चाहिए कि मृतक के पास आत्महत्या करने का कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प न रहे।
24. एक बार फिर, कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी बनाम कर्नाटक राज्य⁷ के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि घरेलू जीवन में कलह और मतभेद समाज में काफी आम हैं। आत्महत्या करना काफी हद तक पीड़ित की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब तक और जब तक अभियुक्त की ओर से कोई दोषी इरादा स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक अभियुक्त को आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना आम तौर पर संभव नहीं है।
25. प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य⁸ एक ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित तरीके से कानूनी स्थिति का सारांश दिया है:

14. धारा 306 को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के साथ पढ़कर बार-बार व्याख्यायित किया गया है, और इसके सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए, यह ज़रूरी है कि आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने या भड़काने वाले कामों का सबूत पेश किया जाए, जो मृतक द्वारा आत्महत्या करने के समय के बहुत करीब होना चाहिए। ऐसी उकसाहट या भड़कावे से आत्महत्या करने के लिए उकसाने का साफ़ इरादा ज़ाहिर होना

चाहिए और पीड़ित को ऐसी स्थिति में डाल देना चाहिए कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प न बचे।

25.1 उल्लेखित निर्णय में, इस न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय संजू @संजय सिंह सेंगर बनाम एम. पी. राज्य⁹ मामले में संदर्भ देते हुए कहा कि किसी विशेष मामले में, आरोपी द्वारा अपमानजनक भाषा के प्रयोग और आत्महत्या के बीच यदि 48 घंटे का समय अंतराल भी हो, तो उसे निकटवर्ती कृत्य नहीं माना जाएगा।

26. संबंधित कानूनी प्रावधानों और इस विषय पर केस कानूनों का सर्वे करने के बाद, अब हम मुख्य अभियोजन गवाहों पर बात करेंगे।

27. पीडब्लू-2 जयबालाबेन दशरथभाई परमार हैं, जो मुखबिर हैं। अपने मुख्य साक्ष्य में, उसने कहा कि घटना पर हुआ था 25 चौथे महीने (अप्रैल) की तारीख। उसने बताया कि उसने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और वह वॉटर पार्क में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती है। उनके पति दशरथभाई करसनभाई परमार डाक विभाग में कार्यरत थे। उनके पति की अंतिम तैनाती लिंग में थी। उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़कियाँ और 2 लड़के। उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके पति के ऑफिस में उनके खिलाफ गबन का मामला चल रहा था।

27.1. लिंग की गीताबेन (अपीलकर्ता/अभियुक्त संख्या 3) ने दोस्ती की और उनके करीब हो गई। इस तरह वह घर आने लगी। पीडब्लू-2 ने आरोप लगाया कि कुछ 'काला जादू' करके और अपने पति को कुछ तरल पदार्थ देकर, उसने उसे अपना बना लिया। गीताबेन उनके पति के पैसे लेकर उन्हें छोड़कर चली गईं।

27.2. 25.04.2009 को, पीडब्लू-2 अपनी सेवा के संबंध में वॉटर पार्क गई थी। दोपहर में एक जयंती भाई काला भाई परमार उनके कार्यालय आए और उन्हें बताया कि उनकी सास बीमार हैं। यह सुनकर वह घर वापस आ गयी। अपने आवास के सामने उन्होंने भारी भीड़ देखी। जैसे ही वह अपने घर में घुसी, उसने अपने पति का शव देखा। उसने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

27.3 पीडब्लू-2 ने कहा कि उसके पास कुछ गहने थे लेकिन वे आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले लिए गए थे। उसने कहा कि उसने अपने पति की मृत्यु के समय कुछ भी नहीं देखा, लेकिन बाद में उसे एक पर्ची (नोट) मिली। उसने उस नोट को पढ़ा जहाँ से वह इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर सकती थी जो उस पत्र में लिखी गई थीं। नोट में लिखा था कि अपील करने वालों ने उसे फंसाया था और वीडियो

कैसेट बनाने के बाद वे उसे ब्लैकमेल करते थे। इस तरह के उत्पीड़न से तंग आकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

27.4 इसलिए, उसने 14.05.2009 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई (एक्स. 22/1)।

27.5 पीडब्लू-2 से जिरह की गई। उसने अपनी जिरह में कहा कि यह घटना 25.04.2009 को हुई थी। पुलिस ने 14.05.2009 और 15.05.2009 को उसके दो बयान लिए थे। अब तक उनके पति के गबन के मामले में, पीडब्लू-2 ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने डाक विभाग को 1,20 रुपये, 000.00 का भुगतान किया था, जिसकी रसीद दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पति के खिलाफ एक मामला था जिसके लिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि उसे रिहा कर दिया गया था। बाद में जमानत। हालांकि उसने स्वीकार किया कि चिट (नोट) उसके बड़े बहनोई (पीडब्लू-7) को मिली थी, न कि उसे। इससे पहले कि वह 25.04.2004 को अपने घर पहुंची, रिश्तेदार उसके पति को अस्पताल ले गए थे।

27.6 जयंती भाई, बड़े जेठ (PW-7), ने अगले दिन PW-2 को नोट के बारे में बताया, और इसी तरह वह जान पाई कि उसके पति ने वह नोट लिखा था। जब 25.04.2009 को पंचनामा खींचा गया, तो कोई नोट नहीं मिला। मृत्यु के समय से शिकायत दर्ज होने तक, नोट पीडब्लू-7 के पास था। पीडब्लू-2 नोट के बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं गया। उसने अभियुक्त के बीच संबंधों का वर्णन इस प्रकार किया: गीताबेन (अपीलकर्ता/आरोपी संख्या 3), जो अपने पति के कार्यालय में काम करती थी; आरोपी संख्या 4 गीताबेन की माता है; आरोपी संख्या 2 गीताबेन के पति हैं; और आरोपी संख्या 1 अन्य आरोपियों का रिश्तेदार है। "पीडब्लू-2 ने कहा कि न तो गीताबेन और न ही आरोपी व्यक्ति कभी उनके आवास पर आए थे।

27.7. पीडब्लू-2 ने कहा कि उनके पति को लगभग 2 साल पहले सेवा से निलंबित कर दिया गया था। वह गबन के मामले को लेकर चिंतित थे। पीडब्लू-2 ने इस सुझाव का खंडन किया कि नोट उसके पति द्वारा नहीं लिखा गया था और आरोपी व्यक्तियों ने उससे पैसे नहीं लिए थे।

28. अमृत भाई कर्शन भाई परमार पीडब्लू-6 हैं। मृतक उसका भाई था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, उनकी भतीजी उनके पास आई और उन्हें बताया कि उनके पिता को कुछ हो गया है। फिर वह अपने भाई दशरथ भाई

के घर गया और उसे गतिहीन पड़ा पाया। उसे लगा कि उसने जहर खा लिया है। जब वह अपने भाई को अस्पताल ले गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस समय उनके दूसरे भाई जयंतीभाई (पीडब्लू-7) भी वहां थे। उसके भाई के शव की तलाशी लेने पर, पीडब्लू-6 ने कहा कि उन्हें उसकी जेब से एक नोट मिला। उस नोट में मृतक ने 3-4 नामों का उल्लेख करते हुए कहा था कि वे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। यह दशरथ भाई की अपनी लिखावट में था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह उन लोगों को नहीं जानते जिनके नाम नोट में उल्लिखित थे।

29. पीडब्लू-7 मृतक जयंती भाई दर्शन भाई परमार का बड़ा भाई है। घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब वह दोपहर में घर पर थे, तो उनके भाई अमृतभाई आए और उन्हें बताया कि दशरथभाई बेहोश पड़े थे। वे दशरथभाई के घर गए और उन्हें बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने 108 पर कॉल किया और पुलिस को भी सूचित किया। वे दशरथभाई को अस्पताल ले गए जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीडब्लू-7 ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपने भाई दशरथभाई के शव की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उपरोक्त कथन का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि एक नोट मिला था, जिसे वह नोट मिला और उसमें क्या लिखा था, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस कारण से उनके भाई की मृत्यु हो गई।

29.1. इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

- 29.2. अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पुलिस के सामने अपने बयान में उसने कहा था कि उसके भाई की जेब में एक नोट मिला था जिसमें लिखा था कि उसका गीताबेन (अपीलकर्ता संख्या 3) के साथ संबंध था और इसी कारण से उसने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने पुलिस के सामने कोई बयान देने से इनकार किया कि उनके भाई दशरथभाई ने गीताबेन को गबन किए गए पैसे दिए थे और आरोपी व्यक्ति उन्हें और गीताबेन की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उनके भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के समक्ष कोई बयान देने से भी इनकार किया कि उनके मृत भाई ने अपीलकर्ताओं को अपनी बेटी की शादी के लिए गहने दिए थे।

30. पीडब्लू-11 महिला हेड कांस्टेबल चंपाबेन नाथालाल हैं। अपने बयान में, उसने कहा कि जब वह 14.05.2009 को दोपहर में ड्यूटी पर थी, तो शिकायत दर्ज की गई थी। अपनी जिरह में, उसने कहा कि डायरी सं 17/09 दिनांक 24.04.2009 (sic) के अनुसार, जब पूछताछ की गई थी, तब वह ड्यूटी पर थी। उसने कहा कि पूछताछ के समय कोई

सुसाइड नोट नहीं मिला और पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई सुसाइड नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, यह पता चलेगा कि हालांकि घटना 25.04.2009 को हुई थी, लेकिन शिकायत PW-2 द्वारा 14.05.2009 को दर्ज की गई थी, इस प्रकार 20 दिनों की देरी हुई। हालांकि 25.04.2009 को एक जी. डी. प्रविष्टि है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पोस्टमॉर्टम और खोज को छोड़कर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और पुलिस द्वारा कोई अन्य जांच नहीं की गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने 14.05.2009 और 15.05.2009 को PW-2 का बयान और उसके बाद दूसरे गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। हालांकि पहले ठहरने में देरी हुई जानकारी हमेशा घातक नहीं होती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में देरी 20 दिनों की है, जो अस्पष्ट बनी हुई है, इसका अभियोजन मामले पर भौतिक प्रभाव पड़ेगा।
32. पीडब्लू-11, जो संबंधित पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, ने बयान दिया कि वह 14.05.2009 को दोपहर की इयूटी पर थी जब शिकायत दर्ज कराई गई। अपनी जिरह में, उसने कहा कि जब डायरी प्रविष्टि संख्या 17/09 दिनांकित 24.04.2009 बनाई गई थी, तब वह भी इयूटी पर थी। वह अपने बयान में स्पष्ट थी कि पूछताछ के समय कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था; पुलिस स्टेशन में भी ऐसा कोई नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था।
33. घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में स्थिरता महत्वपूर्ण है। पीडब्लू-2 ने अपने ठोस साक्ष्य में कहा कि अपनी सास की बीमारी के बारे में सूचित किए जाने पर, वह अपने कार्यालय से घर आई थी। घर पहुंचने पर उन्होंने अपने आवास के सामने भारी भीड़ देखी। जैसे ही वह अपने घर में घुसी, उसने अपने पति का शव देखा। हालांकि, अपनी जिरह में, उसने कहा कि जब वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को घर पहुंची, तो रिश्तेदार पहले ही उसके पति को अस्पताल ले जा चुके थे। इस तरह की असंगत गवाही उक्त अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।
34. पीडब्लू-2 ने कहा कि पीडब्लू-7 ने अगले दिन उसे इसके बारे में बताया था। तभी उसे पता चला कि उसके पति ने सुसाइड नोट लिखा था। दरअसल, जब 25.04.2009 को पंचनामा बनाया गया, तो मृतक की बाँड़ी पर कोई नोट नहीं मिला। उसने कहा कि मृत्यु के समय से लेकर शिकायत दर्ज करने तक, सुसाइड नोट पीडब्लू-7 के पास था।

यह फिर से सुसाइड नोट की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।

35. एक और महत्वपूर्ण विसंगति है। पीडब्लू-6 ने कहा कि जब वह घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तब उनकी भतीजी आई और उन्हें बताया कि उनके पिता (दशरथभाई करसनभाई परमार) को कुछ हो गया है। इसलिए वह अपने भाई के घर गया और उसे गतिहीन पड़ा पाया। उस समय पीडब्लू-7 भी मौजूद था। दूसरी ओर, पीडब्लू-7 ने बताया कि जब वह घर पर थे, तो उनके भाई पीडब्लू-6 ने उन्हें बताया कि भाई दशरथ भाई बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद वे दशरथभाई के घर पहुंचे। इस तरह की विसंगतियां स्पष्ट रूप से उपरोक्त दो अभियोजन गवाहों की विश्वसनीयता पर महाभियोग लाती हैं।
36. इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों से पुलिस द्वारा किसी भी आभूषण (गहने) की बरामदगी दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। मृतक का कोई हस्ताक्षरित चेक या चेक बुक या मृतक की पासबुक बरामद नहीं की गई और अदालत में प्रदर्शित नहीं की गई। ऐसे परिस्थितियों में, अभियोजन के उस आधारभूत तर्क कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक को ब्लैकमेल करके अवैध लाभ कमाया, पूरी तरह विफल हो जाता है।
37. इससे पहले कि हम कथित सुसाइड नोट पर आगे बढ़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विज्ञापन देना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण डाइक्लोरोवॉस ऑर्गानोफॉस्फोरस नॉन-थियो विष के सेवन के कारण था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर, डॉ. प्रकाश लक्ष्मीदास ने पीडब्लू-1 के रूप में गवाही दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान छोटी आंत में 400 सीसी कॉफी के रंग का बदबूदार लिक्विड मिला और पोस्टमॉर्टम नोट के अनुसार, वह डाइक्लोरोवॉस ऑर्गानोफॉस्फोरस नॉन-थियो जहर था। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह का जहरीला पदार्थ पीता है तो इस तरह की मौत हो सकती है।
38. हालांकि, घटना स्थल पर मृतक द्वारा खाए गए जहर का कोई निशान नहीं मिला है। मृतक के घर से इस तरह के जहर की कोई बोतल/पात्र बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष अदालत के सामने कोई विषय-वस्तु नहीं रख सका कि मृतक ने जहर कहाँ से प्राप्त किया था।
39. कुमार @शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य,¹⁰ में इस न्यायालय ने राय दी कि जहर खाने या देने के कारण मृत्यु के मामले में, चाहे वह हत्या हो या आत्महत्या, इस तरह के जहर के निशान की बरामदगी महत्वपूर्ण है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

46.एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, यह कहा जा सकता है कि जहर से मृत्यु के मामले में, चाहे वह हत्या हो या आत्महत्या हो और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, मृतक द्वारा सेवन किए गए या उसे दिए गए जहर के निशान की वसूली महत्वपूर्ण है। यह श्रृंखला का एक हिस्सा है; बल्कि यह हत्या या आत्महत्या साबित करने के लिए श्रृंखला को पूरा करेगा।

40. यह हमें आत्महत्या के नोट (प्रदर्श संख्या 33) की ओर ले जाता है। हम पहले ही उन विलंबित और विवादास्पद परिस्थितियों पर ध्यान दे चुके हैं जिनके तहत आत्महत्या की गई। ध्यान दें सामने आया जो इसे अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। फिर भी, क्योंकि इसे दिखाया गया है, तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। दशरथ भाई करसन भाई परमार (मृतक) द्वारा कथित रूप से 24.04.2009 के रूप में दी गई तारीख के साथ लिखे गए सुसाइड ध्यान दें का सार और सार यह है कि अपीलकर्ता संख्या 3 मौजूदा क्लीनर की बीमारी के बाद अपने कार्यालय में शामिल हुआ था। वह सफाई के लिए रोजाना कार्यालय आती थी। धीरे-धीरे उनके बीच नज़दीकी बढ़ी। यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 3 ने मृतक पर इतनी 'काले जादू' का प्रदर्शन किया था कि उसे उससे प्यार हो गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए, उसने आपत्तिजनक स्थिति में उनकी तस्वीरें और वीडियो खींचीं। सभी आरोपी बेशर्म व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने उसे ब्लैक मेल करना शुरू किया, उसने शुरू में उन्हें Rs.80,000.00 का भुगतान किया और फिर उन्हें गहने देने लगा। उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें अपनी पासबुक और चेक बुक भी दी। इस तरह की ब्लैक मेलिंग के कारण उन्हें अपने कार्यालय से पैसे का दुरुपयोग करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। यह कहा जाता है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।
41. सुसाइड नोट को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा गया था। एफएसएल, गांधीनगर के उप मुख्य हस्तलेखन विशेषज्ञ ने कहा कि हस्तलेखन मृतक का था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने उप मुख्य हस्तलेखन विशेषज्ञ से एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की। अभिलेखों से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि अभियुक्त ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट की वास्तविकता को स्वीकार किया था।
42. शशि कुमार बनर्जी बनाम सुबोध कुमार बनर्जी (मरने के बाद से)¹¹ में, न्यायालय ने कहा कि हस्तलेखन के बारे में विशेषज्ञ का साक्ष्य राय का प्रमाण है। यह शायद ही कभी, यदि कभी भी, ठोस साक्ष्य का स्थान ले सकता है। इस तरह के राय साक्ष्य पर

कार्रवाई करने से पहले, यह देखना आवश्यक है कि क्या इसकी पुष्टि या तो स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।

43. मुरारी लाल बनाम एम. पी. राज्य,¹² के मामले में इस न्यायालय ने राय दी कि हस्त-लेखन की पहचान के विज्ञान की अपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का दृष्टिकोण सावधानी का होना चाहिए। राय के कारणों की सावधानी से जांच और पड़ताल की जानी चाहिए। एक उपयुक्त मामले में, पुष्टि की जा सकती है। जहाँ राय के कारण विश्वसनीय हैं और संदेह पैदा करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, वहाँ एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की अप्रमाणित गवाही स्वीकार की जा सकती है।
44. इस न्यायालय ने केशव दत्त बनाम हरियाणा राज्य¹³ के मामले में अदालत में उनकी जांच किए बिना लिखावट विशेषज्ञ की राय पर भरोसा करने के प्रभाव पर विचार किया। उस मामले में जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना था, उनमें से एक यह था कि क्या हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय को हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच के बिना साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि जब निचली अदालत ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भरोसा आदेश का फैसला किया, तो उसे हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करनी चाहिए थी ताकि आरोपी को उक्त विशेषज्ञ से जिरह आदेश का अवसर दिया जा सके। उस मामले में, यह पाया गया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि आरोपी व्यक्तियों ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट में स्वीकार किया था।
45. अंत में, भले ही हम सुसाइड नोट को सही और वास्तविक मानते हैं, हम अपीलकर्ताओं की ओर से उस तारीख के निकट कोई उकसाने वाला कार्य नहीं पाते हैं जिस दिन मृतक ने आत्महत्या की थी। अपीलकर्ता द्वारा आत्महत्या के समय के निकट ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जो ऐसी प्रकृति का था कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कोई अपराध बनाया गया है।
46. तदनुसार और उपरोक्त के आलोक में, हम इस अपील की अनुमति देते हैं। नतीजतन, हाई कोर्ट का 17.12.2013 का आक्षेपित फैसला और आदेश और ट्रायल कोर्ट का 12.05.2011 का आदेश रद्द किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बांड को खारिज कर दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

हेड नोट्स तैयार किए गए: अंकित ज्ञान

-
- 1 (2001) 9 एस सी सी 618
 - 2 (2009) 16 एससीसी 605
 - 3 (2010) 1 एससीसी 707
 - 4 (2019) 17 एससीसी 301
 - 5 (2020) 15 एससीसी 359
 - 6 2024 आईएनएससी 244
 - 7 (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 3541
 - 8 2024 आईएनएससी 1020
 - 9 (2002) 5 एससीसी 371
 - 10 2024 आईएनएससी 156
 - 11 ए आई आर 1964 एससी 529
 - 12 (1980) 1 एससीसी 704
 - 13 (2010) 9 एस सी सी 286

अनुवादक: निर्मित